न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर जिला अलवर

नं. 1/87/23 तारीख रजू...............................

राधेश्याम बनाम भीमसिंह वगैरा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
07.07.2023	वकिल वादी उपस्थित। आज यह दावा वादी की ओर से वकिल वादी श्री कृपादयाल राणा एड0 ने उपस्थिति होकर पेश किया।कार्यालय रिर्पोट ली गई।दावा दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण जर्ये सम्मन रजि0 डाक से तलब होकर।पत्रावली वास्ते तलवी प्रतिवादीगण दिनांक 21.07.2023 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	
21/7/23	मुताबिक ऑर्डरशीट ए०/P.O. वास्ते [illegible] पत्रावली दिनांक 10/11/23 को पेश हो।	
10/11/23	मुताबिक ऑर्डरशीट ए०/P.O. वास्ते [illegible] पत्रावली दिनांक 12/1/24 को पेश हो।	
12/1/24	मुताबिक ऑर्डरशीट ए०/P.O. वास्ते [illegible] पत्रावली दिनांक 9/5/24 को पेश हो।	
9/5/24	मुताबिक ऑर्डरशीट ए०/P.O. वास्ते [illegible] पत्रावली दिनांक 24/6/24 को पेश हो।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
14/6/24	पत्रावली पेश हुई। बहस वकील वादी सुनी गई। अतः दावा वादी स्थाई निषेधाज्ञा व कायम जोत पत्थरगढ़ी बाबत साबित होने से डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जाता है कि वे आराजी खसरा नम्बर 409 रकबा 0.13 हैक्टर वाके ग्राम दौलतपुरा तहसील कठूमर में वादी के काबिज काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा ना करे तथा तहसीलदार कठूमर को आदेश है कि वो उक्त आराजी पर पहुँच कर दोनों पक्षों की उपस्थिति में उक्त आराजी का सीमाज्ञान करावे नियमानुसार पत्थरगढ़ी करावे निर्णय पृथक से लिखा जाकर प्रा० डि० किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील जाता दाखिल जिला लेख भेजा जावे। सुनाया।

14.6.24

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
कठूमर (अलवर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारीः– श्री सुखाराम पिण्डेल (आर ए एस)

राजस्व वाद संख्याः– 1 / 187 / 2023 दायर दिनांकः– 07 / 07 / 2023

जीसीएमएस नं0ः–2023 / 337 निर्णय दिनांकः– 14 / 06 / 2024

वउनवान

1. राधेश्याम पुत्र भगवत जाति मीना निवासी दौलतपुरा तहसील कठूमर जिला अलवर

वादी

बनाम

1. भीमसिंह पुत्र दुर्जन जाति मीना निवासी दौलतपुरा तहसील कठूमर
2. सोहनसिंह पुत्र हरलाल जाति मीना निवासी दौलतपुरा तहसील कठूमर

प्रतिवादीगण

दावा अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थितिः–श्री कृपादयाल राणा– अधिवक्ता वादी

–ःनिर्णयः–

वादी द्वारा प्रस्तुत दावा स्थाई निषेधाज्ञा व पत्थरगढी कराये जाने बाबत के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि आराजी खसरा नम्बर 409 रकबा 0.13 हैक्ट0 ग्राम दौलतपुरा तहसील कठूमर में स्थित है जो आराजी तन्हा वादी की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। प्रतिवादीगण का विवादित आराजी से किसी तरह का वास्ता नहीं है। विवादित आराजी से लगते ही प्रतिवादीगण के खेत है जो प्रतिवादीगण वादी की उक्त आराजी की मेडों को काट देते है तथा वादी की उक्त

14.6.24
उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

प्रतिवादीगण वादी की उक्त आराजी की मेडों को काट देते है तथा वादी की उक्त आराजी पर जबरन कब्जा करना चाहते है। मना करने पर झगडा करते है। प्रतिवादीगण ने वादी की उक्त आराजी खसरा नम्बर 409 वाके ग्राम दौलतपुरा की पूर्वी डौल को ट्रेक्टर से काट दिया व खेत के अन्दर घुस कर जोत दिया। वादी ने विवादित आराजी की पैमाईस कराकर पत्थरगढी कराने बाबत कहा तो प्रतिवादीगण ने साफ इन्कार कर दिया। अतः वादी ने प्रतिवादीगण को पाबन्द कराने व विवादित आराजी की पैमाइस कराकर पत्थरगढी कराये जाने व वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किये जाने का निवेदन किया है।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी के सम्मन जरिये रजिस्टर्ड डाक भिजवाये गये। प्रतिवादीगण बावजूद रजिस्टर्ड डाक तामील उपस्थित नहीं आये जिनके विरूद्व दिनांक 14/6/2024 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। वादी ने अपने दावा के समर्थन में जमाबन्दी सवत् 2073 से 76, नक्शा ट्रेस, नकल पैमाईस (मौका पर्चा) की सत्यप्रतिलिपी पेश की है, जो पत्रावली के साथ संलग्न है।

हमने विद्वान अधिवक्ता वादी की एकपक्षीय बहस सुनी तथा पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रेकार्ड व पैमाईस रिपोर्ट दिनांक 01–06–2023 का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस के दौरान मुख्य रूप से अपने दावा के तथ्यों को दोहराते हुये दावा वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किये जाने का निवेदन किया है। जमाबन्दी हाल में विवादित आराजी खसरा नम्बर 409 वाके ग्राम दौलतपुरा तहसील कठूमर वादी की खातेदारी में दर्ज है। प्रतिवादीगण बाबजूद तामील उपस्थित नहीं आये। चूँकि वादी विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार है। पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड मौका पर्चा रिपोर्ट के अवलोकन व विद्वान अधिवक्ता वादी की बहस पर मनन करने से वादी प्रतिवादीगण को पाबन्द कराने व विवादित आराजी का सीमा ज्ञान कराकर पत्थरगढी कराने का अधिकारी पाया जाता है। अतः दावा वादी साबित होने से डिक्री योग्य पाया जाता है।

14.6.24
उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

—:आदेश:—

अतः दावा वादी स्थाई निषेधाज्ञा व पत्थरगढी कराये जाने बाबत साबित होने से डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जाता है कि वो आराजी खसरा नम्बर 409 रकबा 0.13 हैक्ट0 वाके ग्राम दौलतपुरा तहसील कठूमर में वादी के कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा ना करे तथा तहसीलदार कठूमर को आदेश है कि वो उक्त आराजी पर पहुँच कर दोनो पक्षो की उपस्थिति में उक्त आराजी का सीमाज्ञान कराकर नियमानुसार पत्थरगढी कराये। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 14.06.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

14.6.24

सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

पर्चा डिकी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी:– श्री सुखाराम पिण्डेल (आर ए एस)

राजस्व वाद संख्या:– 1 / 187 / 2023 दायर दिनांक:– 07 / 07 / 2023

जीसीएमएस नं0:–2023 / 337 निर्णय दिनांक:– 14 / 06 / 2024

वउनवान

1 राधेश्याम पुत्र भगवत जाति मीना निवासी दौलतपुरा तहसील कठूमर जिला अलवर

डिकीदार

बनाम

1 भीमसिंह पुत्र दुर्जन जाति मीना निवासी दौलतपुरा तहसील कठूमर

2 सोहनसिंह पुत्र हरलाल जाति मीना निवासी दौलतपुरा तहसील कठूमर

मदयूनान

दावा स्थाई निषेधाज्ञा व पत्थरगढी कराये जाने बाबत

अतः दावा वादी स्थाई निषेधाज्ञा व पत्थरगढी कराये जाने बाबत साबित होने से डिकी किया जाकर प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जाता है कि वो आराजी खसरा नम्बर 409 रकबा 0.13 हैक्ट0 वाके ग्राम दौलतपुरा तहसील कठूमर में वादी के कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा ना करे तथा तहसीलदार कठूमर को आदेश है कि वो उक्त आराजी पर पहुॅच कर दोनो पक्षो की उपस्थिति में उक्त आराजी का सीमाज्ञान कराकर नियमानुसार पत्थरगढी कराये। निर्णय दिनांक 14.06.2024को यह पर्चा डिकी मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय सील से जारी की गई।

14.6.24

सुखाराम पिण्डेल(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)